

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों O.B.C. के लिये जाति प्रमाणपत्र

895

श्री- कमलेश --- राज व निरीक्षक --- रमेश --- लेखापाल

की जाच आख्या दिनांक --- 21/5/83 --- के आधार पर प्रमाणित किया

जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी --- उमेश --- पुत्र/पुत्री/पत्नी

श्री- श्रीमती --- निवासी --- बदली

तहसील सम्भल जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश राज्य की जग ---

पिछड़ी जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ०प्र० लोक सेवा आयोग अनुसूचित

जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण

अधिनियम 1994 (यथा संशोधित) की अनुसूचि एक के अन्तर्गत मान्यता

प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

चमेल --- पूर्वोक्त अधिनियम 1994 (यथा संशोधित) की अनुसूचि

दो में है कि उ०प्र० आरक्षण (संशोधन) लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित

जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2001

द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातिय

अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण संशोधन अधि-

नियम 2002 द्वारा संशोधित की गयी है। से अच्छादित नहीं है। इनके

जाति पिता की निरन्तर तीन वर्गों की अवधि के लिये सफल वाचिक

आय तीन लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर

अधिनियम 1957 में तथा विहित छूट सीमा से अधिक नहीं है तथा इनके

सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी चमेल --- तथा/अथवा उनका

परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम/मोहल्ला --- बदली --- तहसील

सम्भल नगर सम्भल जिला मुरादाबाद में सामान्यता रहता है।

स्थान 21/5/83

दिनांक ---

मुहर

हस्ताक्षर लेखापाल

हस्ताक्षर लिपिक

हस्ताक्षर रमेश

पूरानाम --- तहसीलदार

पदनाम --- सम्भल